41

गट्टासिल्ली सत्याग्रह

डॉ. (श्रीमती) हेमवती ठाकुर
सहा.प्राध्यापक, इतिहास,
बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव शास.स्नात.महा., धमतरी,
जिला धमतरी (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दक्षिण पूर्वी भाग में लगभग १३५ कि.मी. की दूरी पर ग्राम गट्टासिल्ली की बसाहट है। जिला मुख्यालय धमतरी से ४५ कि.मी. दूर नगरी तहसील का एक गांव है। (१) सन् १९०१ ई. में गांव की जनसंख्या ५५८ थी। जिसमें तालपारा भी शामिल था। २०११ की जनगणनानुसार केवल गट्टासिल्ली की जनसंख्या २०७४ है। जिसमें तालपारा की जनसंख्या शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि अब तालपारा अलग पंचायत के रूप में अस्तित्व में आ चुका है। वहाँ की जनगणना पृथक से की गई है। (२) **२०°२५''** उत्तर अक्षांश से **६१° ४५''** पूर्वी देशांतर के मध्य गट्टासिल्ली की भौगोलिक संरचना है। समुद्र तल से ४८० मीटर ऊँचाई पर स्थित है। (३)

वनांचल स्थित गट्टासिल्ली की बसाहट जिस स्थान पर है वहाँ पहले घास हुआ करती थी। बैलगाड़ी की आवाजही के कारण घास नष्ट हो गया, लोगों की बसाहट हुई और नाम पड़ गया गट्टासिल्ली । जो घास हुआ करती थी, उसे स्थानीय बोली में गट्टा और बैलगाड़ी के चक्के को सिल्ली कहा जाता है। अर्थात बैलगाड़ी के आने–जाने के कारण घास (गट्टा) नष्ट हो गया, लोग बसने लगे। एक बस्ती के रूप में आबाद हो गई जो गट्टासिल्ली के नाम से विख्यात हो गया। गोंड़ो के द्वारा बसाई गई बस्ती है। सन् १९१० से १९२० ई. के दशक में जब धमतरी बिरगुड़ी–सिहावा मार्ग बनाया गया तब बस्ती सड़क मार्ग से दूरी पर थीं, परन्तु धीरे–धीरे लोगों की बसाहट बढ़ती गई लोग सड़क के किनारे आकर बसने लगे। (४) सन् १९१६ ई. में अमेरिकन मेनोनाइट मिशनरी द्वारा गट्टासिल्ली में कलीशिया स्थापित किया गया। (५) अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिलने के कारण उन्हें बंद करना पड़ा।

गट्टासिल्ली का जमींदार गोंड़ था, बहुत अच्छा शिकारी था। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज अधिकारी शिकार के शौकीन होते थे। जब वे शिकार के लिए जाते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे। जमींदार स्वच्छंद और शान–शौकत का शौकीन था। वह अपनी जमींदारी का हिस्सा बेचकर अपना शौक पूरा करता था। (६) सन् १९१६ ई. में सरजूप्रसाद मिश्रा ने गांव की मालगुजारी खरीदी जो मालगुजारी उन्मूलन तक मालगुजार रहे। सन् १९०० ई. के पूर्व तक शत प्रतिशत आदिम प्रजाति के लोग निवास करते थे, गोंड़ों की बस्ती थी । सन् १९०० ई. के पश्चात इस्लाम के समर्थकों का आगमन हुआ। वर्तमान में तेली, राऊत, हल्बा, सतनामी, महार, निषाद, लोहार, कुर्मी, गांड़ा, पनिका आदि निवासरत हैं। सभी जातीय समुह के लोग आपसी भाई–चारा और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सामंजस्य बनाकर पुरातन परम्पराओं का निवर्हन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से जीविकोपार्जन कर रहे हैं। गट्टासिल्ली में ग्राम पंचायत, पशु औषधालय, सन् १९११ से प्रारंभ प्राथमिक शाला, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्र, डाकघर, हायर सेकेण्डरी स्कूल, सहकारी सोसायटी आदि संचालित है। वन विभाग का विश्रामगृह है, जिसका निर्माण ब्रिटिश शासन काल मे किया गया है । (७)

वनांचल स्थित ग्राम गट्टासिल्ली में दो बार सत्याग्रह हुआ था। पहली बार सन् १९२१ ई. में असहयोग आंदोलन के दौरान मद्य निषेध कार्यक्रम और दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जून १९३० ई. में हुआ था। जिसे जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में दोनों ही सत्याग्रह का महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

दिसम्बर सन् १९२० ई. में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित हुआ था। जहाँ दो प्रकार के कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया।

ध्वंसात्मक और रचनात्मक पहले प्रकार का कार्यक्रम के द्वारा विदेशी हुकूमत का विरोध करना था। जिसमें सरकारी स्कूलों एवं अदातलों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी आयोजनों का बहिष्कार आदि शामिल था। दूसरे प्रकार के कार्यक्रम रचनात्मक मे राष्ट्रीय अदातलों एवं राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना करना, हिन्दू मुस्लिम एकता के साथ–साथ मद्य निषेध कार्यक्रम को शामिल किया गया था। (८)

मद्य निषेध कार्यक्रम के अंतर्गत मादक पदार्थों जिसके अंतर्गत गांजा, भांग, चरस, अफीम, शराब आदि का बहिष्कार करना था। मादक पदार्थों का समाज पर बहुत अधिक दुष्प्रभाव पड़ रहा था। आज भी समाज इसके दुष्प्रभाव से वंचित नहीं है। सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक नुकसान उठाना पड़ता रहा है। इसीलिए इस कार्यक्रम को असहयोग आंदोलन के एक कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान जिले के कलार जाति के लोगों ने जिनका पुश्तैनी धंधा था, हमेशा के लिए छोड़ दिया और त्याग का परिचय दिया। जो उनके जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन था।

ब्रिटिश प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष मादक पदार्थों, जिनमें गांजा, भांग, चरस, शराब आदि की नीलामी करके राजस्व एकत्रित की जाती थी जो राजस्व का बहुत बड़ा श्रोत था। सन् १९२१ ई. में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाने के कारण मादक पदार्थों की नीलामी नहीं हो पा रही थी। जिससे शासन को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में मादक पदार्थों की नीलामी कर आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहती थी। चूँकि शासक वर्ग व्यापारी थे, व्यापार करने के उद्देश्य से ही उनका भारत आगमन हुआ था। परन्तु देश की राजनीतिक दुर्बलता के कारण सत्ता प्राप्त कर लिए । सत्ता हथियाने के पश्चात संसाधनों का दोहन प्रारंभ कर दिया, जिससे देश में कई प्रकार की समस्याएँ जैसे :– गरीबी, बेकारी, भूखमरी आदि उत्पन्न हो गई थी। मादक पदार्थों से क्या नुकसान होगा, इससे कोई सरोकार नहीं था, उन्हे तो केवल धन कमाना था।

जनवरी १९२१ ई को मादक पदार्थों की नीलामी की जानी थी, परन्तु नीलामी की तिथि आगे बढ़ते जा रही थी। असहयोग आंदोलन की गतिविधियों के कारण नीलामी हो ही नही पा रही थी। जिसके कारण ब्रिटिश प्रशासन को आर्थिक नुकसान अधिक हो रहा था। ऐसी स्थिति में मादक पदार्थों की नीलामी के लिए घने जंगलों से आच्छादित सुदूर वनांचल में स्थित इस छोटे से गांव का चयन किया गया। जहाँ जिले के सभी ठेकेदारों को आमंत्रित किया गया, ताकि मादक पदार्थों की नीलामी किया जा सके। निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व गांव में मादक पदार्थों की नीलामी की सूचना अंचल के देशभक्तों एवं तहसील के नेताओं तक पहुँची । तहसील के नेताओं ने नीलामी को रोकने के लिए गट्टासिल्ली पहुँचने की योजना बनाई। उन दिनों यातायात के साधनों का अभाव था। ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे २८ मील दूर गट्टासिल्ली पहुँचा जा सके। तब नेताओं ने बैलगाड़ी से गट्टासिल्ली पहुँचने का निर्णय लिया। रात्रि में दो बैलगाड़ी से गट्टासिल्ली के लिए रवाना हो गए । जिसमें एक बैलगाड़ी में नारायणराव मेघावाले और दो स्वयं सेवक, जिनमें एक शोभाराम देवांगन और बलदेव ठाकुर, दूसरी बैलगाड़ी में खिलाफत कमेटी के मंत्री मोहम्मद अब्दुल करीम और खिलाफत कमेटी के दो स्वयं सेवक रात्रि में ही गट्टासिल्ली के लिए रवाना हो गए । प्रातः ९ बजे गट्टासिल्ली पहुँचे। जहाँ विभिन्न स्थानों से आए हुए ठेकेदारों को समझाईश दी गई । उन्हे अखिल भारतीय कांग्रेस तथा उसके कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई । नीलामी में भाग न लेने के लिए समझाईश दी गई । ठेकेदारों ने नेताओं की बातों को ध्यान में रखते हुए नीलामी में भाग न लेने का वचन दिया। परिणाम स्वरूप मादक पदार्थों की नीलामी नहीं हो पाई । जिससे मादक पदार्थों को नीलाम करने के शासन की योजना पूरी तहर विफल हो गई। यह स्वतंत्रता आदोलन की सफलतम घटना रही है। जिससे गट्टासिल्ली जैसे एक छोटे से गांव की पहचान सत्याग्रह के केन्द्र के रूप में विख्यात हो गया।

गट्टासिल्ली, जंगल सत्याग्रह : जून १९३०

जून १९३० ई में गट्टासिल्ली में दूसरी बार सत्याग्रह हुआ । (९) जिसे गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह

के नाम से भी जाना जाता है। ६ अप्रैल १९३० ई को दांडी नामक स्थान पर समुद्र के पानी से नमक बनाकर गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरूवात की थी। (१०) तात्कालिन धमतरी तहसील के विभिन्न स्थानों में स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियाँ संचालित हो रही थी। इसी अवधि में जून १९३० ई, को गट्टासिल्ली से लगभग २० कि. मी. दूर ठेमली गांव के लगभग ३०० मवेशियों को सरकारी कूप में प्रवेश करने एवं घास चरने के आरोप में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा गट्टासिल्ली स्थित कांजी हाऊस में डाल दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉ शोभाराम देवांगन के अनुसार वास्तव में इन मवेशियों का प्रवेश शासकीय कूप में हुआ ही नहीं था। षयत्रंत्र के तहत् दूर से केवल अनुमान लगाकर मवेशियों को कांजी हाऊस में बंद कर दिया गया, जो उनके कुटिल कार्य थे। जिनकी शिकायत सर्वप्रथम गांव के मालगुजार एवं गुरू गोसाई लाल जी साहब, श्री मोहम्मद साहब और गांव के प्रमुख किसानों ने वन विभाग के उच्चाधिकारियों के पास की । लेकिन इससे कोई संतोषप्रद हल नहीं निकला, तब धमतरी लोकल बोर्ड के अध्यक्ष अंजोर राव कृदत और उपाध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल हकीम वकील से संम्पर्क कर परिस्थितियों से अवगत करवाया गया। कांजी हाउस लोकल बोर्ड के अधीन हुआ करती थी। लोकल बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जनप्रतिनिधि होते थे। बड़ी उम्मीद एवं अपेक्षा के साथ लोकल बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संपर्क किए कि उनके मवेशियों को निःशुल्क छोड़ दिया जाए। लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हुआ । ऐसी स्थिति में एक ही उपाय रह गया था कि तहसील कांग्रेसी नेताओं से संपर्क स्थापित कर मवेशियों को छुडवाने के लिए प्रयास किया जाए । मवेशियों के बिना गांव वाले परेशान थे। गांव में सन्नाटा फैला हुआ था। मवेशियों के बिना गांव वालों की घरेलू एवं कृषि कार्य रूक गया था। मवेशियों के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज आना बंद हो गया था, गलियाँ सूनी हो गई थी। मवेशियों की हुंकार बंद हो गई, ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द कांजी हाऊस से छुड़वाना चाहते थे। इसके लिए तहसील के कांग्रेस नेता पं. नारायणराव मेघावाले, नत्थूजी जगताप, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव से संपर्क कर घटना की जानकारी दी गई। तहसील के इन नेताओं ने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। गट्टासिल्ली जाने की तैयारियाँ प्रारंभ कर ५० स्वयं सेवकों का दल बैलगाड़ी से प्रस्थान किए। ये स्वयं सेवक प्रशिक्षित थे, सत्य और अहिंसा के आदर्शों की कट्टर भक्त थे। इन स्वयं सेवकों में पं. शिववोधन प्रसाद सेठरामलाल अग्रवाल, पं गिरधरी लाल तिवारी, श्री मुकुन्द राव माने, शंकरराव जाचक, रामरतन यदु एवं गंगाधर राव पडोले आदि प्रमुख थे। तहसील के नेताओं के साथ स्वयं सेवकों की गट्टासिल्ली जाने की खबर ब्रिटिश प्रशासन के अधिकारियों को लगी । तब अधिकारी भी गट्टासिल्ली प्रस्थान करने की तैयारी में लग गए। इसी समय रास्ते में अचनाक तहसील कांग्रेस कमेटी कें मंत्री शोभाराम देवांगन की धमतरी के पुलिस सर्किल इंन्स्पेक्टर श्रीराम जी से मुलाकात हो गई । सर्किल इंन्स्पेक्टर ने गट्टासिल्ली की घटना के बारे में मंत्री शोभाराम देवांगन से कहा कि आज आपके शांतिप्रिय अहिंसात्क सत्याग्रही स्वयं सेवकों की परीक्षा का दिन है। यदि इस कार्य में आपके प्रशिक्षित सत्याग्रही स्वयं सेवक सफल हो गए तो गट्टासिल्ली के सत्याग्रह में कांग्रेस को विजश्री हासिल होगी। थोड़ी भी कमजोरी या हिंसात्मक प्रवृति की स्थिति निर्मित होने पर क्या होगा, यह कुछ नहीं कहा जा सकता। इस पर तहसील कांग्रेस कमेटी के मंत्री डॉ. शोभाराम देवांगन ने उन्हें पूरा विश्वास दिलाया कि हमारे स्वयं सेवक शांतिपूर्ण तथा अहिंसात्क तरीके से ही सत्याग्रह करेंगे। क्योंकि स्वयं सेवकों के साथ पं. नारायणराव मेघावाले जा रहे है। सभी स्वयं सेवकों ने सत्य और अहिंसा की शपथ ली है, निष्ठापूर्वक उसका पालन करेंगे। गट्टासिल्ली में शांति भंग और हिंसात्मक होने का सवाल ही नहीं उठता। पूरे विश्वास के साथ सर्किल इंन्स्पेक्टर के प्रश्न का जवाब दिया, जवाब सुनते ही सर्किल इंन्स्पेक्टर, पिस्तौल, बंदूक आदि हथियारों से लैस होकर अपनी मोटर में बैठकर गट्टासिल्ली के लिए प्रस्थान किए।

पं.नारायणराव मेघावाले जब स्वयं सेवकों के साथ गट्टासिल्ली पहुँचे तब मवेशियों की नीलामी की

तैयारी चल रही थी। नगरी–सिहावा अंचल के स्वयं सेवक भी गट्टासिल्ली पहुँचे। स्वंय सेवक मवेशियों को नि: शुल्क छुड़वाना चाहते थे। लेकिन प्रशासन तैयार नहीं थी। ऐसी स्थिति में स्वयं सेवक कांजी हाऊस के गेट के सामने लेट गए । उन्हें हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं हटे। कई प्रकार के उपायों द्वारा कांजी हाऊस से बाहर करने का प्रयास किया गया, परन्तु स्वयं सेवक डटे रहे, ऐसी स्थिति में सोए हुए स्वयं सेवकों पर खौलते हुए गरम पानी डाला गया । लेकिन सत्याग्रही नेता और स्वयं सेवक सहन करते रहे, धैर्य नहीं खोए। इस पाशविकतापूर्ण कार्यवाही को बड़े संयम के साथ संतुलन बनाकर शांति और अहिंसा का पालन किया। स्वयं सेवकों की धैर्य और सहनशक्ति के सामने प्रशासन द्वारा किया गया बल प्रयोग प्रभावहीन साबित हुआ। तब वहाँ उपस्थित उच्च अधिकारियों ने गंभीरता के साथ विचार विमर्श कर मवेशियों को कांजी हाऊस से नि:शुल्क छोड़नें की अनुमति प्रदान की। यह सत्याग्रहियों की बहुत बड़ी सफलता थी। प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार कार्यवाही की गई उससे स्थिति तनवापूर्ण हो गया था, लेकिन शांति और अहिंसा के दूत स्वयं सेवकों ने साहस और धैर्य का परिचय देते हुए प्रशासन के प्रयास को विफल कर दिया। तहसील कांग्रेस कमेटी के मंत्री डॉ. शोभाराम देवांगन द्वारा सर्किल इन्सपेक्टर रामजी को दिया गया आश्वासन पूरा हुआ। जो सत्य और अहिंसा की बड़ी जीत थी। (११) इस प्रकार ठेमली गांव के मवेशियों को नि:शुल्क छोड़ दिया गया। गांव के किसान अपने मवेशियों को लेकर हंसी–खुशी अपने गांव के लिए रवाना हुए । वहीं धमतरी से गए हुए स्वयं सेवक एवं नेता बड़े उत्साह के साथ जयघोष करते धमतरी वापस हुए । यह उनकी बहुत बड़ी सफलता थी।

इस प्रकार सुदूर वनांचल के ग्राम गट्टासिल्ली में दो बार सत्याग्रह हुआ था जिसमें पहली बार १९२१ में और दूसरी बार १९३० में सत्याग्रहियों ने सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष करके बड़ी सफलता हासिल की । दोनों सत्याग्रह में ब्रिटिश प्रशासन को झुकना पड़ा यह स्वतंत्रता आदोलन की बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि रही है।

संदर्भ सूची :–

१. सांख्यिकी रिपोर्ट जिला धमतरी

२. ए.ई. नेल्सन, संपादक, रायपुर जिला गजेटियर, पृ. २९२, १९०९

३. डॉ. राजेन्द्र शर्मा, संपादक, रायपुर जिला गजेटियर, पृ. ४८२, १९७३

४. श्री नकुल नेताम, उम्रो ठाकुर, वरिष्ठ नागरिक, गट्टासिल्ली व्यक्तिगत साक्षात्कार, दिनांक २०/०८/२०१८

५. विशप, पी.जे. मलागर भारत के मेनोनाईट मंडली का इतिहास सन् १८८९–१९८०, पृ. ७२, १९८३

६. ए.ई. नेल्सन, संपादक, पूर्वोक्त

७. श्री रामकुमार, श्री सामरथ, जावेद मेमन गट्टासिल्ली, व्यकितगत साक्षात्कार, दिनांक ०७/०२/२०१९

८. आर.सी. अग्रवाल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं सवैधानिक विकास, पृ. १२०, १९८६–८७

९. डॉ. शोभाराम देवांगन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में धमतरी नगर एवं तहसील का योगदान, पृ. १४६, १९७०

१०. डॉ. आर.सी. अग्रवाल, पूर्वोक्त, पृ. १४१

११. डॉ. शोभाराम देवांगन, पूर्वोक्त, पृ. १८३, १८४

⌘⌘⌘

आधुनिक इतिहास लेखन में मौखिक स्रोतों की भूमिका

डॉ. (श्रीमती) हेमवती ठाकुर

सहा. प्राध्यापक, इतिहास, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, शास.स्नात.महा., धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)

इतिहास किसी भी समाज एवं राष्ट्र का दर्पण होता है। जिस प्रकार दर्पण में चेहरा को निहारते हैं और बीते अतीत का स्मरण करके प्रेरणा लेते हैं। उसी प्रकार समाज एवं राष्ट्र का विहंगम अवलोकन करने का अवसर इतिहास से प्राप्त होता है। इतिहास हमें पूर्व स्थितियों से अवगत करवाता है। हमें अपने पूर्वजों के बारे में बतलाता है तथा आने वाली पीढ़ियों के बारे में संकेत करता है। केवल इतिहास ही हमें इस प्रकार की प्रेरणा दे सकता है कि हम अपने पूर्वजों से भी आगे बढ़े और ऊँचाइयों की शिखर पर पहुँचें।

इतिहास रूपी दर्पण पर जिस प्रतिबिंब का अवलोकन किया जाता है, वह लेखन पर निर्भर करता है। प्राप्त स्रोत्रों के आधार पर उपलब्ध तथ्यों से निष्पक्ष एवं तटस्थ रहकर लेखन किया जाएगा, तभी किसी समाज एवं राष्ट्र की छबि स्पष्ट दिखलाई देगी । यदि वास्तविक तथ्यों को अनदेखा कर लेखन किया जाएगा, तब इतिहास रूपी आइने में छबि धुंधली दिखलाई देगी । जिससे उस समाज एवं राष्ट्र की सही एवं स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आ पाएगी । जो किसी भी समाज एवं राष्ट्र के लिए घातक होगा और उसके पतन का कारण बनेगा। क्योंकि इतिहास व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में स्वाभिमान की भावना जागृत करती है । लोग गौरवशाली इतिहास से प्रेरित होकर नया इतिहास बनाने में सफलता प्राप्त करते हैं। जो भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश देने का कार्य करती है ।

इतिहास का लेखन पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों के आधार पर किया गया । साहित्यिक स्रोतों में वेद, पुराण, महाकाव्य एवं धर्मशास्त्रों के आधार पर लेखन किया गया है। जो सम्पूर्ण जनमानस का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मैक्समूलर के अनुसार संस्कृत में जो साहित्य है, वह कभी भी सामान्य जन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता । वह केवल विद्वानों के द्वारा, विद्वानों के लिए लिखा गया साहित्य है। जन जीवन का परिचय प्राप्त करने में रूचि रखने वाले को उस साहित्य से कुछ नहीं मिल सकता । इससे स्पष्ट होता है कि वह एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करता है । उसी को पूरे देश के लिए आधार मानकर लेखन किया गया है। पुनः मैक्समूलर के विचार का उल्लेख करना उचित होगा उन्होंने कहा था कि भारत गांव का देश है वह गांव में ही रहता है, न कि शहरों में । नगरों में भारत की भारतीयता समाप्त हो गई है। उसमें न जाने कितना सम्मिश्रण हो गया है न जाने कितने अनुकरणों के कारण उसमें विकृति आ गई है। परन्तु देहातों में निरक्षर जनता में जो विदेशी सर्म्पकों से सर्वथा अलग पड़ी हुई है, भारतीयता अब भी शुद्व रूप में जीवित है । इससे स्पष्ट है कि एक वर्ग जो शिक्षा से कोसों दूर रहा, जिनमें जागरूकता का अभाव था, परन्तु उनके पास समृद्ध विरासत थी, जो उनके स्मृति पटल पर अंकित थी। जिसके परिणामस्वरूप सही एवं वास्तविक इतिहास का लेखन नहीं हो पाया है । इतिहास केवल राजा–महाराजा और

उच्च वर्ग की गौरवगाथा तक सीमित रह गया। जिसके आधार पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, इतिहास का लेखन किया गया है, जो अधूरी सी दृष्टिगोचर प्रतीत होती है।

आधुनिक इतिहास लेखन में मौखिक स्रोतों की बड़ी भूमिका हो सकती है। जिसके द्वारा अनछुए ऐतिहासिक तथ्यों को जनमानस के समक्ष लाया जा सकता है। मौखिक स्रोतों के द्वारा लोगों के स्मृतिपटल पर अंकित तथ्यों को लेखबद्ध किया जा सकता है। यद्यपि गौरवशाली इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित मौखिक स्रोत समय चक्र के साथ काल कवलित होता जा रहा है। आवश्कता है संग्रहण की परन्तु अद्यतन शोधार्थी छोटा रास्ता अपनाकर अपना शोधकार्य को पूर्ण करने का प्रयास करता है। वहीं दूसरी ओर आधुनिक युग में प्रयुक्त नवीनतम तकनीकों के द्वारा ज्ञानार्जन कर निष्कर्ष पर पहुँच जाता है। इतिहास लेखन में मौखिक स्रोतों द्वारा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इतिहास आदि का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लेखन कर तथ्यपरक इतिहास लेखन किया जा सकता है । इसमें निष्पक्षता एवं तटस्थता का ध्यान रखना होगा, तभी सही इतिहास लेखन किया जा सकता है ।

सामाजिक इतिहास लेखन में मौखिक स्रोत की भूमिका –

सामाजिक इतिहास के महत्व को सर्वप्रथम ट्रिवेलियन ने सामने लाया। उनके अनुसार सामाजिक इतिहास के अभाव में आर्थिक इतिहास बंजर तथा राजनीतिक इतिहास अवर्णनीय है। सामाजिक इतिहास की महत्ता इससे पता चलता है। सामाजिक इतिहास के लेखन में मौखिक स्रोतों की बड़ी भूमिका हो सकती है । जिस सामाजिक इतिहास का लेखन किया गया है, जिसका हम अध्ययन करते और करवाते हैं। वह वास्तविकता से कोसों दूर प्रतीत होता है। धर्मशास्त्रों एवं महाकाव्यों के आधार पर लिखा गया सामाजिक इतिहास सम्पूर्ण समाज का प्रतिबिंब नहीं हो सकता। देश में विविधताएँ रही है। अलग–अलग वर्ग और सम्प्रदाय के लोग रहे हैं। इनकी अपनी रस्म–रिवाज, प्रथाएँ है । जो क्षेत्रीयता और प्रांतीयता के आधार पर बँटा हुआ है। ऐसी स्थिति में सामाजिक इतिहास लेखन में मौखिक स्रोतों की बड़ी भूमिका हो सकती है।

सामाजिक रीति–रिवाज परम्पराएँ, प्रथाएँ आदि का मूल स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते आ रही है। आधुनिक 21 वीं सदी में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा है। विद्यमान भौतिक संसाधनों का प्रभाव पड़ने लगा है। लोग आधुनिक चकाचौंध की भौतिक सुख–सुविधाओं की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। जिससे सामाजिक जीवन में परिवर्तन के साथ मौलिकता पर प्रश्नचिन्ह दृष्टिगोचर होने लगा है। ऐसी स्थिति में मौखिक स्रोतों के द्वारा वास्तविक तथ्यों को सामने लाना होगा, तभी– किसी समाज एवं देश का सामाजिक इतिहास लिखा जा सकेगा। विभिन्न समाज के मध्य अंर्तसंबंध, खान–पान, आभूषण, वेशभूषा, सौदर्य प्रसाधन, मनोरंजन के साधन, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, आदि से संबंधित तथ्य मौखिक स्रोतों के माध्यम से समाज प्रमुख एवं वरिष्ठ नागरिकों से संग्रहण कर लेखबद्ध किया जा सकता है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक नियम प्रत्येक समाज में प्रचलित है, जिसका निर्वहन समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है। जो उनकी विशिष्ट पहचान है और जो सदियों से चली आ रही है।

आर्थिक इतिहास लेखन में मौखिक स्रोत की भूमिका –

आर्थिक इतिहास का अभिप्राय मानवीय आजीविका के साधनों से है। उत्पादन के विविध उपकरणों विधियों, पदार्थों , मानवीय प्रयासों एवं संतोषप्रद उत्पादन के साधनों का प्रयोग ही आर्थिक इतिहास है। अर्थव्यवस्था के तीन आधार स्तंभ होते है। कृषि, पशुपालन और उद्योग धंधे। सदियों से यही प्रमुख आधार रहा है। समय चक्र के साथ किसी का महत्व कम तो किसी का महत्व अधिक हो गया है। कृषि और पशुपालन का गहरा संबंध रहा है। जो किसान था, वह पशुपालक भी था। कृषि कार्य को सम्पन्न करने के लिए पशुपालन आवश्यक था। जिसकी सहायता से कृषि कार्य करता था। कृषि कार्य की विभिन्न प्रकिया जिसमें बोआई, निदाई, मिजाई आदि के बारे में किसान जानता है। उसके बारे में वही तथ्यात्मक जानकारी दे सकता है। कृषि कार्य के लिए आवश्यक उपकरण, सिंचाई के साधन पशुपालन आदि के बारे में वह जानकारी दे सकता है । पशुधन की उपयोगिता के बारे में किसान बहुत अच्छे से जानता है। उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 21 जुलाई 2020 को पारंपरिक लोक पर्व हरेली के दिन गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई है। यह एक महात्वाकांक्षी योजना है । इससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। एक ओर जहाँ किसान गोबर विक्रय कर रहा है, वहीं दूसरी ओर महिला स्वसहायता समुह उसे क्रय करके विविध प्रकार की सामग्रियाँ जैसे गमला, दिया, खिलौना घर सजाने की आकर्षक सामग्री आदि का निर्माण कर आर्थिक दृष्टि से लाभान्वित हो रही है। महिलाएँ आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो रही हैं। जिसका दूरगामी प्रभाव समाज एवं संस्कृति पर पड़ने लगा है । इससे जहाँ एक ओर उनकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया है। वहीं दूसरी ओर पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन के साथ अपने बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर ध्यान केन्द्रित कर देश के लिए एक शिक्षित, कर्मठ एवं स्वस्थ्य नागरिक के रूप में भारत का भविष्य गढ़ रही हैं। गोबर का उपयोग सदियों से खाद और ईधन के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। यह किसान ही बता सकता है। इस योजना का कियान्वयन करके पशुपालन की ऐतिहासिक महत्ता को सिद्ध कर दिया गया। इसीलिए पशुधन की संज्ञा दी गई है। पशुपालन से और क्या लाभ हो सकता है, क्या उपयोगिता है आदि के बारे में किसान और पशुपालक ही बतला सकते हैं, जिसके आधार पर लेखन किया जा सकता है ।

उद्योगों से संबंधित तथ्य भी मौखिक स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है। संख्यात्मक जानकारी संबंधित विभाग से प्राप्त हो सकती है। जहाँ रजिस्ट्रेशन किया जाता है। परन्तु उद्योगों में होने वाले उत्पादन, वितरण एवं मार्केटिंग के बारे में उद्योगों के संचालक वृहद जानकारी प्रदान कर सकता है। आधुनिक युग में व्यापक पैमाने पर मशीनों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन मशीनीकरण के पहले पूरे परिवार के सदस्य माल तैयार करते थे। हस्तउद्योगों का प्रचन था। आर्थिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्न तथ्यों के संकलन में मौखिक स्रोत की बड़ी भूमिका हो सकती है ।

सांस्कृतिक इतिहास लेखन में मौखिक स्रोत की भूमिका –

सांस्कृतिक विरासत किसी भी समाज एवं देश की विशिष्ट पहचान होती है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती है। तीज–त्यौहार, कला, आस्था एवं विश्वास आदि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत होती है। समय के साथ आधुनिक शिक्षा एवं भौतिकता के प्रभाव के कारण इसमें परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा है। परन्तु आंशिक परिवर्तनों के साथ मौलिकता विद्यमान है । तीज–त्यौहार, आस्था एवं विश्वास, कला के विविध आयाम आदि के बारे में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तथ्यपरक जानकारी एकत्रित करने के लिए जनमानस के स्मृतिपटल में अंकित तथ्यों को सामने लाना होगा, इसके लिए मौखिक स्रोत सहायक सिद्ध होगा। संगीत, नृत्य, गायन, वादन आदि की विविध शैली समय के साथ लुप्तप्राय हो चुकी है। उसी प्रकार चित्रकला का जीवंत प्रमाण जो अद्यतन शैलाश्रयों में विद्यमान है। जो जनमानस के मध्य में भी प्रचलन में रहा, उसके विविध स्वरूपों की ऐतिहासिक जानकारियों मौखिक स्रोतों के द्वारा प्राप्त कर सांस्कृतिक इतिहास का लेखन किया जा सकता है।

जिस प्रकार सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास लेखन के लिए मौखिक स्रोत सहायक हो सकता है, उसी प्रकार राजनीतिक इतिहास के लिए भी विषयवस्तु से संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्यों को मौखिक स्रोतों द्वारा संग्रहित कर रिक्त स्थान को जोड़कर क्रमबद्धता प्रदान की जा सकती है।

इस प्रकार आधुनिक इतिहास लेखन में जनमानस के स्मृतिपटल पर अंकित तथ्यों को मौखिक स्रोतों के आधार पर संग्रहण करके किसी क्षेत्र, गांव, टोला आदि का समग्र इतिहास लेखन किया जा सकता है । जिससे राष्ट्रीय इतिहास समृद्ध होगा और इतिहास लेखन को एक नई दिशा प्राप्त होगी, जिसकी आवश्यकता है।

संदर्भ –

श्री कमलाकर तिवारी एवं रमेश तिवारी, अनुवादक मैक्समूलर लिखित हम भारत से क्या सीखें, पृ. 100, 102, जुलाई 1964
कुंवर बहादुर कौशिक, इतिहास दर्शन एवं प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन, पृ. 29,30, 2003
डॉ. रामकुमार बेहार, इतिहास पद्धति एवं लेखन, 23 , 2003
दैनिक हरिभूमि, समाचार पत्र छ.ग. में गोधन न्याय योजना प्रारंभ , 22 जुलाई 2020